

4  
2.9.18

1. C.E (Ha)  
2. श्री पंजाब  
27/8

संख्या: 1090 / 111(1) / 18-46(अधि0) / टीसी-4(1) 09

प्रेषक,  
प्रदीप सिंह रावत,  
अपर सचिव,  
उत्तराखण्ड शासन।

1-T  
Upload करें।  
018  
02.08.18

सेवा में,  
प्रमुख अभियन्ता,  
लोक निर्माण विभाग,  
उत्तराखण्ड, देहरादून।

देवेन्द्र शाह  
अधिसासी अभियन्ता  
देहरादून, दिनांक 0/ अगस्त, 2018

लोक निर्माण अनुभाग-1

विषय:-स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा-27 में प्रदत्त अधिकार के अन्तर्गत स्थानान्तरण अधिनियम के प्राविधानों से छूट दिये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक अपने पत्र संख्या-1238/35व्यक-सा0/18, दिनांक 15.06.2018 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 में दिये गये प्राविधानों के अनुरूप किये गये विभिन्न संवर्गों के कार्मिकों के स्थानान्तरण हुई कठिनाईयों को देखते हुये कतिपय बिन्दुओं पर शासन स्तर से दिशा निर्देश चाहे गये हैं।

2- इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि प्रश्नगत प्रकरण को स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा-27 के अन्तर्गत कार्मिक विभाग के माध्यम से मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में गठित समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। इस सम्बन्ध में कार्मिक विभाग द्वारा अपने पत्र संख्या-210/XXX 2/18/30(11)/18, दिनांक 25.07.2018 (प्रति संलग्न) के द्वारा अवगत कराया गया है कि मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा लोक निर्माण विभाग के सम्बन्ध में निम्न निर्णय लेते हुये विभाग को अपने स्तर से कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये हैं:-

1. लोक निर्माण विभाग के 03 अधिसासी अभियन्ताओं के सम्बन्ध में विभाग वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 में उपलब्ध प्राविधानों के अधीन विभागीय स्थिति के अनुसार विभागीय स्तर पर निर्णय लिया जाय।
2. 10 प्रतिशत तक स्थानान्तरण की अधिकतम सीमा के दृष्टिगत कार्मिकों को विकल्प के आधार पर समायोजित किये जाने हेतु प्रशासकीय विभाग वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम में उपलब्ध प्राविधानों के अधीन विभागीय स्थिति के अनुसार विभागीय स्तर पर निर्णय लिया जाय।
3. जो कार्मिक दुर्गम में रहना चाहते हैं, उनका परस्पर दुर्गम क्षेत्र में ही स्थानान्तरण किया जाय।
4. जिन कार्मिकों की सेवानिवृत्ति दिनांक 30.06.2019 तक है, उनको दुर्गम से सुगम में स्थानान्तरण से छूट प्रदान की जाती है।
5. संघ के ऐसे पदाधिकारी, जिनका कार्यकाल पदधारण की तिथि से 02 वर्ष तक का है, उनके सम्बन्ध में वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम की धारा-17(2)(घ) का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
6. 55 वर्ष की आयु के जिन कार्मिकों द्वारा दुर्गम से सुगम हेतु स्थानान्तरण में छूट का अनुरोध किया जा रहा है, उनके सम्बन्ध में विभागीय स्थिति के अनुसार विभाग द्वारा स्वयं निर्णय लिया जाय।

3- अतः कार्मिक विभाग द्वारा निर्गत उक्त पत्र दिनांक 25.07.2018 की प्रति संलग्न कर प्रेषित करते हुये मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपरोक्तानुसार विभागीय स्थिति के अनुसार आंकलन कर विभागीय निर्णय लेते हुये अपने स्तर से कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्न यथोक्त।

भवदीय,  
प्रदीप सिंह रावत  
अपर सचिव

○ प्रेषक,

राधा रतूडी,  
अपर मुख्य सचिव,  
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1. अपर मुख्य सचिव, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
2. अपर मुख्य सचिव, तकनीकी शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
3. अपर मुख्य सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
4. प्रमुख सचिव, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
5. सचिव, विद्यालयी शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
6. सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।

कार्मिक अनुभाग-2

देहरादून: दिनांक 25 जुलाई, 2018

विषय:- स्थानांतरण अधिनियम, 2017 की धारा-27 में प्रदत्त अधिकार के अन्तर्गत कतिपय विभागों को स्थानांतरण अधिनियम के प्राविधानों से छूट दिये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अवगत कराना है कि उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिये वार्षिक स्थानांतरण अधिनियम, 2017 की धारा-27 में अधिनियम के क्रियान्वयन में कठिनाई का निवारण के संबंध में प्राविधान है कि :-

इस अधिनियम के प्रख्यापन के उपरान्त अन्य विभागों की वार्षिक स्थानांतरण नीतियों/अधिनियमों पर इस अधिनियम का अध्यारोही प्रभाव होगा;

परन्तु यह कि यदि किसी विभाग द्वारा अपने विभाग की विशिष्ट परिस्थितियों के कारण इस अधिनियम के किसी प्राविधान में कोई परिवर्तन अपेक्षित हो अथवा कार्यहित में कोई विचलन किया जाना आवश्यक हो अथवा कोई छूट अपरिहार्य हो तो ऐसे परिवर्तन/विचलन/छूट हेतु प्रस्ताव सकारण मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा। इस समिति की संस्तुति पर मुख्यमंत्री के अनुमोदन के उपरान्त ही वांछित परिवर्तन/विचलन/छूट अनुमन्य होगा।

2. उक्त के क्रम में लोक निर्माण विभाग, उच्च शिक्षा विभाग, सिंचाई विभाग तथा माध्यमिक शिक्षा विभाग के स्थानांतरण अधिनियम से छूट दिये जाने संबंधी प्रकरणों पर सम्यक् विचारोपरान्त निम्न निर्णय लिये गये हैं:-

(1). लोक निर्माण विभाग द्वारा 03 अधिशासी अभियंताओं को स्थानांतरित किये जाने तथा कतिपय ऐसे कार्मिक जो समूह "घ" से समूह "ग" में पदोन्नत हुए हैं उनकी सेवा की गणना सभी पदों पर की जाए अथवा पदोन्नति के पद पर की जाए, के संबंध में स्थिति स्पष्ट किये जाने, साथ ही जो कार्मिक दुर्गम में रहना चाहते हैं, उनको स्थानांतरण से छूट प्रदान किये जाने, ऐसे कार्मिक जिनकी सेवानिवृत्ति दिनांक 30.06.2019 तक है तथा वे दुर्गम में ही रहना चाहते हैं तो उनको स्थानांतरण से छूट प्रदान किये जाने का अनुरोध किया गया है।

उक्त के अतिरिक्त विभाग द्वारा संघ के ऐसे पदाधिकारी जिनका कार्यकाल पद धारण की तिथि से 02 वर्ष तक है उनको 06 माह की अवधि तक छूट प्रदान किये जाने तथा स्थानांतरण अधिनियम के अंतर्गत 10 प्रतिशत तक की अधिकतम सीमा की बाध्यता के दृष्टिगत विभाग में रिक्तियां कम होने के कारण कार्मिकों के विकल्प के आधार पर निकटतम स्थान पर समायोजित किये जाने की छूट प्रदान किये जाने तथा दुर्गम से सुगम की पात्रता के लिये 55 वर्ष की आयु के कार्मिकों के स्थानांतरण में छूट प्रदान किये जाने का भी अनुरोध किया गया है।

